

4-8-21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी उपस्थित। बहल चुनी गई। बहल के दौरान वकील अप्रार्थी ने रुकना कि उनका प्रार्थी बैंक के साथ समझौता हो चुका है। समझौते के तहत निश्चित समय में ऋण की बकाया छिरेत जमा करा दी जावेगी। वकील प्रार्थी ने समझौते से सहमति जाहिर की। ऐसी स्थिति में प्रार्थी पत्र साहीत हो चुका है। प्राप्प साहीत होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैलल हुआ होकर नम्बर से कट हो एवं बाद तकमिल जाता कावल दफतर हो।

M

(सू० डी० बान)
 जिला कलक्टर मुन्सु

